Sam Higginbottom University of Agriculture, Technology And Sciences

NOTICE Date 18/09/2020

Dear Students,

This is to bring to your kind notice that the **National Scholarship Portal (NSP)** has been opened for old and new students till **31st October 2020.**

The form along with the other documents mentioned below has to be sent on the email id nsp.scholarship@shiats.edu.in before **2nd November 2020,** whereas for the other NSP scheme the documents can be sent before the last date.

Required Document for NSP Scholarship

- Aadhar Card
- Income Certificate (latest & Issued by Government)
- Domicile Certificate
- Caste Certificate
- Current Semester Result (for Renewal)
- Current semester Fee Receipt
- Bank Details (account must be linked by Aadhar)

Note:

- **Documents should properly scan.**
- **NSP press Release letter is attached.**
- **For any other information regarding scholarship you can mail us on the above given email id.**

Dy.Registrar (Administration)

SHUATS

प्रेस विज्ञप्ति

केन्द्र सरकार पुरोनिधानित अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना 2020–21 के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् समय सारिणी निर्गत की गयी है:

Activities	Schemes	Closing Date	last date for forms online verification by institutes
छात्रों द्वारा नई छात्रवृत्ति (fresh student) तथा नवीनीकरण (renewal) छात्रवृत्ति (ऐसे छात्र जिनको 2019–20 में छात्रवृत्ति प्राप्त हुई) हेतु आवेदन आनलाइन करने की अंतिम तिथि	Pre-Matric (class 1-10)	31st October 2020	15st November 2020
	Post Matric	31st October 2020	15st November 2020
	Merit cum Means	31st October 2020	15st November 2020

सूच्य है कि अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदाय के छात्र/छात्राओं, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय प्री–मैट्रिक 1.00 लाख, पोस्ट–मैट्रिक 2.00 लाख एवं मेरिट कम मीन्स 2.50 लाख से अधिक न हो एवं आय प्रमाण पत्र तहसील से निर्गत किया गया हो तथा पिछली कक्षा में 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हों, द्वारा केन्द्रीय अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वेबसाइट **http://scholarships.gov.in** में **National Scholarship Portal (NSP 2.0)** पर उपलब्ध साफ्टवेयर में दी गयी व्यवस्था के तहत निर्धारित समयावधि में मदरसा/शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरे जायेंगे। **2020–21 में शुल्क विवरण छात्र/छात्राओं द्वारा भरे जाने का विकल्प समाप्त कर, शुल्क विवरण संस्थाओं द्वारा भरा जाना अनिवार्य किया गया है।**

निर्देशः–प्रत्येक शिक्षण संस्थायें सर्वप्रथम **NSP 2.0** पोर्टल पर इस्टीट्यूट लागिन कर रजिस्ट्रेशन फार्म भरेंगे रजिस्ट्रेशन फार्म का प्रिंट आउट निकाल कर कार्यालय में जमा करेंगे, जिसके पश्चात कार्यालय स्तर से अप्रूव/वेरिफाई किया जाएगा, जिसके उपरान्त आवेदन अग्रसारित किया जा सकेगा। विस्तृत विवरण/सूचना के लिये भारत सरकार की वेबसाइट **www.scholarships.gov.in** में **NSP 2.0** साफ्टवेयर में दी गयी व्यवस्था तथा निर्धारित समय–सारणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करें एवं ऑन लाइन आवेदनों को अपनी लागिन आई0डी0 से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय की लागिन पर अग्रसारित करने के उपरान्त प्रमाणित/सत्यापित हार्ड कापी कार्यालय को प्रेपित करेंगे।

(शिव प्रकाश तिवारी)
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
प्रयगराज।

कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, प्रयागराज।

पत्रांकः 340 /जि0अ0क0अ0/एन0एस0पी0–भा0स0छा0/2020–21 दिनांक 24.08.2020

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनु0–3 उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 620 इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, प्रयागराज।
4. मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने अधीन समस्त विद्यालयों को सूचित करने का कष्ट करें कि राज्य अथवा केन्द्रीय में से एक ही छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाईन अग्रसारित करना सुनिश्चित करें।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज/समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीन समस्त विद्यालयों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
8. प्रबंधक/प्रधानाचार्य समस्त सहायता/मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज जनपद प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि केन्द्र पुरोनिधानित अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में अधिक से अधिक अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को आनलाइन आवेदन हेतु प्रेरित करें व छात्र–छात्राओं को यह भी निर्देश निर्गत करें कि राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार छात्रवृत्ति में से एक ही छात्रवृत्ति का आवेदन आनलाइन किया जाये।
9. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य समस्त अनुदानित/मान्यता प्राप्त मदरसों को इस निर्देश के साथ कि मदरसो में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को केन्द्र पुरोनिधानित अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति आवेदन हेतु प्रेरित करें तथा सत्यापनोपरान्त ही आवेदन अग्रसारित करें।
10. उप निदेशक सूचना, प्रयागराज को 10 प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि हिन्दी/उर्दू दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
प्रयागराज।

Scanned with CamScanner